समाहरणालय, गोड्डा

(जिला भू–अर्जन शाखा)
E-Mail- goddadlao@gmail.com

प्रपत्र VI

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम–30 / 2013 की धारा–11 (1) के अधीन)

संख्या– 45/2017-18 (रेलवे) ..1127.. / भूअ0 गोड्डा दिनांक :– 24/9/18...

चूँकि उपायुक्त, गोड्डा को यह प्रतीत होता है कि मौजा– **गोढ़ीघाट, थाना नं0– 513, अंचल– गोड्डा**, जिला– गोड्डा में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड के 2x800MW ताप विद्युत परियोजना के लिए रेलवे लाईन साईडिंग निर्माण** हेतु अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस0 आई0 ए0 ईकाई श्री बैधनाथ फाउण्डेशन, देवघर सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन द्वारा कराया गया और एक प्रतिवेदन सौंपा गया। विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक समाघात प्रतिवेदन का मूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

विस्तृत प्रतिवेदन गोड्डा जिले के वेबसाइट:- www.godda.nic.in पर देखा जा सकता है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम– **गोढ़ीघाट, थाना नं0– 513, अंचल– गोड्डा**, जिला– गोड्डा, में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **3.889** एकड़ यानि ..... हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़)	हिस्से की भूमि का रकवा (एकड़)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
								उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	98	952	निजी	बाड़ी II	0.059	0.0148	शंभु प्र0 यादव, पिता– फतू यादव	951	958	950	953
2						0.0147	नम्भो यादव, पिता– फतू यादव				
3						0.0295	टुसो देवी, पति– पुरण मंडल				
4	105	953	निजी	बाड़ी II	0.648	0.2040	मो0 वर्धा, पति– स्व0 रतन प्र0 यादव	मौजा सीमा	958	952	956
5		956	निजी	धानी I	1.015	0.2040	नकुल प्र0 यादव, पिता– सूरजू मांझी (मृत)	मौजा सीमा	957	953, 958	955, 957
6		957	निजी	धानी I	1.420	0.2040	मो0 मनी देवी, पिता– स्व0 जलधर मांझी	955	मौजा सीमा	952	मौजा सीमा
7		954	निजी	धानी III	0.169	0.2040	मो0 कोशल्या देवी, पति– दशरथ मांझी (मृत)	मौजा सीमा	957	955	मौजा सीमा
8		955	निजी	धानी II	0.420	0.1360	मो0 मंजु देवी, पति– स्व0 युगल यादव				
9						0.1360	शंकर यादव, माता– स्व0 जोगनी देवी पिता– बिरजू यादव				
10						0.068	सुरेन्द्र यादव, पिता– स्व0 नंदकिशोर यादव				
11						0.068	भुनेश्वर यादव, पिता– स्व0 नंदकिशोर यादव				

12						0.153	भैरव कु0 यादव, पिता– उचितलाल यादव				
13						0.153	अवध कु0 यादव, पिता– उचितलाल यादव				
14						0.0765	निरंजन यादव, पिता– सूचितलाल यादव				
15						0.0765	नवल किसोर यादव, पिता– सूचितलाल यादव				
16						0.0765	जनार्दन यादव, पिता– सूचितलाल यादव				
17						0.0765	रणधीर कु0 यादव, पिता– सूचितलाल यादव				
18						0.306	मनकलता देवी, पति– जगदीश प्र0 गोप				
19						0.306	बनारसी प्र0 यादव, पिता– स्व0 ब्रदी प्रसाद यादव				
20						0.612	सुधीर कुमार अमर, पिता– सिंघेश्वर प्र0 यादव				
21						0.612	राजेन्द्र प्र0 यादव, पिता– भादो मांझी				
22	124	958	निजी	बाड़ी II	0.158	0.158	स्व0 बासुदेव सिंह, पिता– स्व0 हृदय नरायण सिंह	953	959	952	956
कुल रकवा :–					3.889	3.8890	एकड़				

यह अधिसूचना भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। उपायुक्त, गोड्डा उक्त अधिनियम की धारा– 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा/अंचल अधिकारी, गोड्डा और उनके कर्मचारी– कानूनगो/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन/संबंधित राजस्व कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा– 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नही उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा– 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा श्री अनिल कुमार तिर्की, अपर समाहर्त्ता, गोड्डा/श्री पवन कुमार, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक 1127/भू0अ0   दिनांक :- 24/9/18 ।

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, गोड्डा को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन यथाशीघ्र दो हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों (स्थानीय संस्करण) में करने का कष्ट करेंगे। साथ ही प्रकाशित अधिसूचना का पेपर कटिंग जिला भू–अर्जन कार्यालय, गोड्डा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना–विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना को गोड्डा जिले के वेवसाइट में यथाशीघ्र प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

23/9/18

उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक 1127/भू0अ0   दिनांक :- 24/9/18 ।

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्त्ता, गोड्डा/अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा/अंचल अधिकारी, गोड्डा/अधियाची पदाधिकारी, वरीय उपाध्यक्ष, अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, गोड्डा को निदेश है कि उक्त अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात सहज दृश्य स्थलों पर चिपकाना सुनिश्चित करेंगे।

23/9/18

उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक :1127/भूअ0   दिनांक :24/9/18

प्रतिलिपि – प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/9/18

उपायुक्त,
गोड्डा।